न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- **शरद तँवर,** R.J.S
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दाण्डिक विविध प्रकरण सं. 462/2026

1. **ओगडराम** पुत्र मांगीलाल, उम्र-36 वर्ष, निवासी-लाम्बिया, पुलिस थाना-सदर, पाली (राज.)
2. **चन्द्राराम** पुत्र वोराराम, उम्र-38 वर्ष, निवासी-लाम्बिया, पुलिस थाना-सदर, पाली (राज.)

.... प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

-बनाम-

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, पाली। .... अप्रार्थी

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा **483 बी.एन.एस.एस.**
सी.आर. नंबर **108/2026** पुलिस थाना **सदर, पाली**
अपराध अन्तर्गत धारा **331(6), 331(7), 115(2), 117(2), 125, 3(5) बीएनएस, 2023**
गिरफ्तारी की दिनांक 01.06.2026

उपस्थिति :-
1. **श्री कुन्दनसिंह,** अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. **श्री निखिल व्यास**, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
3. **श्री जूंझाराम परमार,** अधिवक्ता परिवादी पक्ष की ओर से।

<u>आदेश</u> दिनांक: 05.06.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **ओगडराम व चन्द्राराम** की ओर से जरिये अधिवक्ता इस प्रकरण में नियमित जमानत हेतु **प्रथम** प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. दिनांक 03.06.2026 को माननीय सेशन न्यायालय, पाली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से प्रकरण अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। संबंधित पुलिस थाने

Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.
"Authenticated Document"

से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का आपराधिक रेकार्ड, अनुसंधान पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब किये गये। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिलेख का अवलोकन किया गया। उभय पक्षीय तर्कों पर मनन किया गया।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से उक्त जमानत आवेदन के संबंध में मुख्य रूप से यह अभिवचन एवं तर्क किए गए हैं कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्हें इस प्रकरण में झूठा फसाया गया है। परिवादी रूगाराम की पुत्री सरकारी स्कूल में संविदा पर पढ़ाती है जिसने प्रार्थी/अभियुक्त चन्द्राराम के पुत्र के साथ मारपीट की थी जिसका ओलबा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा दिया गया तो उससे नाराज होकर परिवादी ने यह झूठा प्रकरण दर्ज कराया है। आरोपित अपराध आजीवन कारावास एवं मृत्यु दण्ड से दण्डनीय नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 01.06.2026 से निरन्तर अभिरक्षा में है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से संबंधित अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किया जावे।

3. राज्य सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने जमानत के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कृत्य गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये। अपने तर्को के समर्थन में परिवादिया द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्टे की प्रतियां पेश किये।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **एस बी क्रि. मिस. बेल एप्लीकेशन नं. 13513/2020 जुगल बनाम स्टेट ऑफ राज.** में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है:-

Accused Name	*Sr. No*	*FIR No., P.S.*	*Section*	*Case No.*	*Status*
चन्द्राराम	*1.*	*104/20,* सदर पाली	*341, 323,325 IPBC*	*57/30.06.20*	जैर ट्रायल
ओगडराम	*1.*	30/22, मारवाड जंक्शन जिला पाली	363, 374 IPC& 29 JJ act	54/27.6.22	जैर ट्रायल
	2	116/13, गुडा एन्दला जिला पाली	143, 451, 323 IPC	85/27.08.13	जैर ट्रायल

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड एवं उभयपक्षीय तर्कों के संदर्भ में हस्तगत प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि दिनांक 10.04.2026 को परिवादी रूगाराम ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना सदर, पाली में इस आशय की दर्ज करायी की दिनांक 09.04.2026 को सांय 07.00 बजे अपने घर के अंदर था तब ओगडाराम व चन्द्राराम उसके साथ गाली गलौच करते हुए लाठिया व कूट लेकर जबरदस्ती घर के अंदर घुसे तथा उसके साथ गाली गलौच करते हुए लाठियों व कूट से मारपीट की। ओगडराम ने उसे कूट से मारी जिससे उसके हाथ की अंगुली कट गयी। चन्द्राराम ने लाठियों से हाथ पर मारी जिससे उसका हाथ फेक्चर हो गया। उसकी पत्नी विध्यादेवी को नीचे गिरा दिया, दुर्गा के भी हाथ पर कूट की मारी जिससे दुर्गा के हाथ की अंगुली कट गयी। उसकी जेब में पडे 20 हजार रूपये जबरदस्ती छीनकर ले लिये। ...इत्यादि पर **पुलिस थाना सदर, पाली** में मुकदमा संख्या **189/2026**, धारा **189(2), 331(6), 115(2), 125, 304, 3(5) बी.एन.एस. 2023** में दर्ज किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया जिनका जमानत आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार किये जाने से उसकी ओर से यह जमानत आवेदन पेश किया गया है।

6. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध सामान्य आशय की पूर्ति में हमला करने की तैयारी के पश्चात रात्रि के समय परिवादी के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर परिवादी, उसकी पत्नी व पुत्री के साथ मारपीट कर साधारण एवं गंभीर चोटे पहुंचाने के धारा **331(6), 331(7), 115(2), 117(2), 125, 3(5) बीएनएस, 2023** के अपराध के आरोप अनुसंधान से प्रमाणित होना माना है। मेडीकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित रूगाराम के हाथ पर कारित दो चोटे एवं विध्यादेवी के पैर पर एक चोट गंभीर प्रकृति की होना दर्शायी गयी है तथा इन्हें कारित कोई भी चोट धारदार हथियार से कारित नहीं है। दूसरी ओर दुर्गा की तर्जनी अंगुली पर कारित एकमात्र चोट धारदार हथियार से कारित होना दर्शित है, किन्तु उसकी सभी चोटे सादा प्रकृति की है। पीडितों की कोई भी चोट नाजुक अंगों पर कारित नहीं है। अनुसंधान पत्रावली के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी धारदार हथियार की बरामदगी होना प्रकट नहीं है तथा उनसे अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, वे दिनांक 01.06.2026 से निरन्तर अभिरक्षा में है। उभयपक्ष एक ही समुदाय के सदस्य है। अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः इस स्तर पर, मामले के

गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रकरण के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

7. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **ओगडराम व चन्द्राराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर यह आदेशित किया जाता है कि यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **50,000/- 50,000/- रूपये** राशि के स्वयं के मुचलके व **25,000/- 25,000/- रूपये** के दो दो जमानत नामें विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टिप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करावे तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये:-

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अपराध की पुनरावृति नहीं की जायेगी एवं सदाचार बनाये रखेगे।
2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा गवाहान को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जायेगे।
3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विचारण के दौरान प्रत्येक पेशी पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होते रहेगे।
4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के मुचलके एवं जमानत नामा पर पासपोर्ट साईज रंगीन फोटोग्राफ चस्पा किया जाए।
5. आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जाये।

(शरद तँवर)
अपर सेशन न्यायाधीश,
पाली (राज.)

8. आदेश आज दिनांक 05.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शरद तँवर)
अपर सेशन न्यायाधीश,
पाली (राज.)

Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.
"Authenticated Document"

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.05 18:36:58 IST